(12)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1339 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

श्री विजय कुमार लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, वायसी अन्तर्गत पदस्थापन काल (2016–17) में बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों के मरम्मत कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3616 अनु0 दिनांक 18.12.2017 द्वारा श्री लाल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री लाल के पत्रांक शून्य दिनांक 12.03.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। तद्लोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2696 अनु0 दिनांक 08.11.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत श्री लाल, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 17 अनु0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री लाल के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री विजय कुमार लाल ने दिनांक 03.08.2016 को श्री रघुनन्दन विश्वास, कार्यपालक अभियंता से प्रभार ग्रहण किया एवं श्री हृदयानन्द महतो, कार्यपालक अभियंता को दिनांक 18.08.2016 को वायसी प्रमंडल का प्रभार सौंप दिया। जॉच पदाधिकारी ने जिन पथों का उल्लेख किया है और जिसके आधार पर आरोप गठित किया है, उन पथों के प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राककलन पर कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 27.08.2016 को हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी के वायसी प्रमंडल का प्रभार त्यागने के उपरान्त Estimate Frame किया गया है तथा कार्य का क्रियान्वयन कराया गया है। अतः इसके लिये श्री लाल उत्तरदायी नहीं है।

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरान्त श्री लाल का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य पाया गया। तद्लोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री लाल को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री विजय कुमार लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह0) 13.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1340 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 13.9.21

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1340 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विजय कुमार लाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– 3 SFA-2/13, मोहल्ला+डाकघर–बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भुतनाथ रोड, थाना–अगमकुऑ, जिला–पटना, पिन कोड–800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव